श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–27.02.2025 (गुरूवार) को समिति कार्यालय, रांची में संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 69वीं बैठक की कार्यवाही : –

01. **उपस्थिति** : उपस्थिति विवरणी अलग से संलग्न है।

क्रम सं.	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री संतोष उराँव, नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र।	सभापति	उपस्थित
2.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, रांची	सदस्य	अनुपस्थित
3.	श्री राजेश बखला, उप सचिव, वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	उपस्थित
4.	डॉ. कामिनी कुमार (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्) झारखण्ड, रांची।	सदस्य	उपस्थित
5.	श्री नरेन्द्र भगत, भा.प्र.से. (से.नि.) भूतपूर्व सभापति, नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट	विशेष आमंत्रित	उपस्थित
6.	श्री प्रयाग दुबे, पूर्ववती छात्र, ने.आ.वि. नेतरहाट सम्प्रति अध्यक्ष, ने.वि. पूर्ववर्त्ती छात्र संगठन, राँची।	विशेष आमंत्रित	उपस्थित
7.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	उपस्थित

02. **कार्यसूची की मद संख्या–01** : दिनांक–11.12.2024 को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की 68वीं बैठक की कार्यवाही को सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई।

03. **कार्यसूची की मद संख्या–02** : दिनांक–11.12.2024 को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 68वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के कृत अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत अनुपालन प्रतिवेदन की सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई।

04. **कार्यसूची की मद संख्या–03** : बैठक में उपस्थित प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा सभी को बताया गया कि नेतरहाट की भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष, 1978 के प्रभाव से ही 20% विशेष वेतन का भुगतान विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को

किया जा रहा था। वर्ष, 2009 में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं०-7740/वि०, दिनांक-10.08.2009 के माध्यम से नेतरहाट विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को मूल वेतन का 20% विशेष वेतन के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति दी गई थी। ज्ञातव्य, हो कि समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों की सेवा शर्त्त झारखण्ड गजट (असाधारण अंक) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-57, दिनांक-04.02.2012 से विनियमित होती है। संदर्भित अधिसूचना के **नियम-07** में विशेष वेतन को मूल वेतन के हिस्सा के रूप में उल्लेख किया गया है। अतएव, समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों के द्वारा 20% विशेष वेतन का अनुलाभ के प्राप्ति हेतु नेतरहाट टीचर्स एसोशिएसन की ओर से पहल करते हुए वर्ष 2022 में झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद संख्या-667/2022 दायर किया। दायर वाद पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक-02.12.2024 को पारित न्यायादेश में 20% विशेष वेतन एवं बकाया वेतन भुगतान किये जाने का उल्लेख है। उक्त न्यायादेश के आलोक में कार्यालय आदेशांक-2763, दिनांक-19.12.2024 के आलोक में समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को माह-दिसम्बर, 2024 एवं माह-जनवरी, 2025 के वेतन में 20% विशेष वेतन का भुगतान किया गया। समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को संशोधित सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान के तहत 20% विशेष वेतन (मूल वेतन का) भुगतान की घट्नोत्तर स्वीकृति कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति से प्रदान की गई।

प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि निदेशालीय पत्रांक-13/ने.(6)-03/2022-597, रांची, दिनांक-24.02.2025 के आलोक में मात्र याचिकाकर्त्ता संघ (नेतरहाट विद्यालय टीचर्स एशोसिएसन) के सदस्यों को बकाया विशेष वेतन की राशि भुगतान करने का निर्देश प्राप्त है। एतदर्थ विषयक समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि चूँकि नेतरहाट विद्यालय की नियुक्ति सेवा-शर्त्त तथा अनुशासन नियमावली-2011 के नियम-7 में 20% Special Pay for all employees का उल्लेख है जिसके आधार पर ही माननीय न्यायालय का न्यायादेश याचिकाकर्त्ता के पक्ष में दिया गया है। अतएव, विशेष वेतन का भुगतान विद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मीयों को भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि चूँकि विशेष वेतन की अवधारणा सन् 1978 से है, जिसके आलोक में ही राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में आदेश निर्गत किये गये है, अतएव, विद्यालय में सरकार स्तर से नियुक्ति शिक्षकों, सेवानिवृत्त सह-शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी इसका अनुलाभ समान संस्थान के आधार पर मिलना चाहिए। साथ ही प्राचार्य को यह भी निर्देश हुआ कि विशेष वेतन के भुगतान के संबंध में माननीय न्यायालय के न्यायादेश की विधिक शाब्दीक विवेचना प्राप्त कर ली जाय एवं तद्नुसार पुनः प्रशासी विभाग को अवगत कराने की कार्रवाई अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेंगे।

05. <u>कार्यसूची की मद संख्या-04</u> : प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों अवगत कराया गया कि दिनांक-26.12.2024 को श्री रौशन कुमार बक्शी, प्रशासनिक पदाधिकारी, ने.आ.वि. को ACB, पलामू के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसकी सूचना ACB, पलामू के द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक-248/2024 दिनांक-26.12.2024 के माध्यम से

विद्यालय कार्यालय को दी गई थी। प्राप्त सूचना के आलोक में श्री रौशन कुमार बक्शी को नेतरहाट विद्यालय समिति की नियुक्ति, सेवा–शर्त तथा अनुशासन नियमावली–2011 के नियम–22 के आलोक में निलंम्बित कर दिया गया था। प्राचार्य द्वारा सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि इस संबंध में उपायुक्त, लातेहार द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक–116/गो. दिनांक–22.02.2025 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को निदेश दिया गया था कि इस संबंध में नेतरहाट विद्यालय समिति की अधिसूचना संख्या–57 दिनांक–04.02.2012 (नियुक्ति सेवा–शर्त्त तथा अनुशासन नियमावली) के आलोक में कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की बैठक आयोजित कर कृत कार्रवाई से अवगत करायी जाय। प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा बैठक में यह भी बताया गया कि दिनांक–24.02.2025 को विद्यालय के अधिवक्ता द्वारा यह संसूचना दी गई की माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा श्री बक्शी को जमानत प्रदान की जा चुंकी है। सभी बिदुओं के सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एतद–विषयक सम्पूर्ण बिंदुओं की जाँच एवं समीक्षा हेतु एक तीन सदस्यी समिति गठित की जाय। समिति गठन हेतु सर्वसम्मति से सभापति को प्राधिकृत किया गया।

यह भी निर्णय हुआ कि गठित समिति अपना एक प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ सभापति, कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध करायेगी; तद्नुसार ही इस विषय पर अग्रेतर निर्णय लिया जायेगा। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि अगर श्री बक्शी अपना आवेदन देते है तो निलंबन की अवधि तक उनका मुख्यालय रांची अवस्थित समिति कार्यालय होगा।

06. **कार्यसूची की मद संख्या–05** : प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि विगत कार्यकारिणी समिति की 68वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में कार्यालय आदेशांक–2642, दिनांक–26.11.2024 के द्वारा शिक्षकों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (M.A.C.P) का लाभ प्रदान किये जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। गठित समिति के द्वारा दिनांक–07.12.2024 को बैठक आहूत कर समस्त बिन्दुओं के अवलोकनोपरांत एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट में कुछेक शिक्षकों का एम.ए.सी.पी. के प्रस्ताव को प्रशासनिक मापदण्डों को पूर्ण नहीं करने के कारणों से तत्काल स्थगित रखा गया था। एतद्विषयक समीक्षोपरांत सभी सदस्यों का सुझाव हुआ कि संबंधित शिक्षकों को लंबित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (M.A.C.P) के संदर्भ में अवरूद्धता के कारण स्पष्ट करते हुए पत्राचार किया जाए; तदुपरांत प्राप्त प्रतिउत्तर को गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर एक समीक्षा बैठक कर सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (M.A.C.P) का लाभ प्रदान किये जाने हेतु अग्रेतर प्रक्रिया प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को करने का निदेश दिया गया।

07. **कार्यसूची की मद संख्या–06** : प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को राज्य कर्मियों की भांति असाध्य रोगों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव शासी निकाय की दिनांक-09.09.2024 को संपन्न हुई 13वीं बैठक में विचारर्थ प्रस्तुत की गई थी। जिस पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का प्रस्ताव नेतरहाट विद्यालय समिति के स्तर से गठित करते हुए विभाग को प्रस्तुत करने का निर्देश प्राप्त है। इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किये जाने का निर्देश प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को दिया गया, ताकि प्रस्ताव की समीक्षा कर उसे प्रशासी विभाग को सप्रेषित किया जा सके। ।

08. **कार्यसूची की मद संख्या–07** : प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के समक्ष वर्तमान शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही विलंब तथा शिक्षकों की लगातार हो रही सेवा–निवृति के मद्देनजर शैक्षणिक गतिविधियों में उत्पन्न हो रही कठिनायों से अवगत कराया गया। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सम्यक विचारोपरांत शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु सेवा–निवृत्त शिक्षकों को संविदा के आधार पर विहित्त प्रक्रिया के तहत कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत किया गया। शिक्षकेत्तर कर्मियों की कमी को भी दृष्ट्रिपथ रखते हुए प्राचार्य को निदेश हुआ कि सेवा–निवृत्त शिक्षकेत्तर कर्मियों से भी अगर आवश्यक हो तो नियमानुसार उनकी सेवा लेने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

09. **कार्यसूची की मद संख्या–08** : बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को प्राचार्य सह–सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मियों को पोशाक/वर्दी के क्रय हेतु सरकार के स्तर से 2,500.00 (रूपये दो हजार पाँच सौ मात्र) वर्दी मद में उपलब्ध कराया जाता है। वित्त विभागीय संकल्प संख्या–33/वि.–(भत्ता)–95/2020–664/वि., राँची, दिनांक– 07.03.2024 के माध्यम से राज्य कर्मियों को पोशाक/वर्दी की आपूर्ति हेतु नई दर का निर्धारण किया गया है। उपस्थित सभी सदस्यों के सम्यक विचारोपरांत राज्य कर्मियों की भांति नेतरहाट विद्यालय के चतुर्थवर्गीय कर्मियों को भी उनके पोशाक/वर्दी क्रय हेतु नई दर पर भुगतान की स्वीकृत प्रदान की गई साथ ही प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि सभी चतुर्थवर्गीय कर्मियों हेतु पोशाक/वर्दी का निर्धारण करते हुए वर्दी की सिलाई कराने संबंधी आवश्यक पहल विद्यालय स्तर से करते हुए कर्मियों को उपलब्ध कराई जाय। उक्त कार्य के कार्यान्वयन हेतु प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

10. **कार्यसूची की मद संख्या–09** : प्राचार्य ने सदस्यों को अवगत कराया कि विद्यालय में भवनों तथा कक्षावर्गो का जीर्णोद्धार कार्य, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, लातेहार के स्तर से किया जा रहा है। संचालित योजना के प्रसंग में विद्यालय स्तर से अबतक राशि रू0 2,00,00,000/– (दो करोड़ मात्र) का भुगतान किया जा चुका है एवं शेष राशि भुगतान हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, लातेहार के विभिन्न कार्यालय

Santosh

पत्रांक–1004/23.08.2024 एवं 1373/21.11.2024 के माध्यम से राशि रू0 7,89,62,000/–(सात करोड़ नवासी लाख बासठ हजार मात्र) की अधियाचना की गयी है। सम्प्रति, विद्यालय कार्यालय पत्रांक–70/14.01.2025,2639/26.11.2024,1907/24.08. 2024, एवं 1504/13.06.2024 के माध्यम से विभागीय अनुमति हेतु पत्र प्रेषित की गई थी। सम्प्रति, निदेशालीय पत्रांक–12/यो.01–06/2023–616, रांची, दिनांक–25.02.2025 के माध्यम से निम्न शर्तों के साथ अनुमति के उपलब्ध करायी गई अधियाचित राशि में से वित्तीय वर्ष 2021–22 की शेष राशि रू. 3.00 करोड़ को प्रत्यार्पित करने एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 की शेष राशि रू. (4,19,16,200 + 70,45,800) अर्थात् कुल रू. 4,89,62,000.00 (चार करोड़ नवासी लाख बासठ हजार रूपये) मात्र राशि कराने हेतु सर्वसम्मति से कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, लातेहार को भुगतान करने की स्वीकृति कार्यकारिणी समिति स्तर से प्रदान की गई।

11. **कार्यसूची की मद संख्या–10** : प्राचार्य, सह–सदस्य सचिव, के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को बताया कि डॉ. संतोष कुमार सिंह, पूर्व प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के अभ्यावेदन एवं विभागीय पत्रांक–13/विविध–18–14/2024–3041, दिनांक–18. 11.2024 के माध्यम से उपदान (ग्रेच्युटी) एवं उपार्जित अवकाश से सम्बंधित राशि भुगतान हेतु अधियाचना किया गया है। बताया गया कि डा. सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर याचिका जिसमें उन्होंने मार्च–2023 में समिति द्वारा प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय के पद पर विज्ञापन आधारित नियुक्ति का विरोध दर्ज किया था, किन्तु वे उस विज्ञापन के क्रम में स्वयं अपना आवेदन भी दिया था तथा अंतर्वीक्षा में भाग भी लिया था। इस दृष्टि से उनके द्वारा दायर याचिका स्वतः अर्थहीन समझा जाना चाहिए। किन्तु उक्त याचिका अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में लंम्बित है। अस्तु, प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को निदेश हुआ कि वे भूतपूर्व प्राचार्य डा. सिंह को तद्नुसार न्यायालय अपनी लंबित याचिका को वापस लिए जाने हेतु सूचित करें तथा उक्त याचिका की वापसी की संपुष्टि पर उन्हें लंबित उपदान राशि की गणना कर नियमानुसार भुगतान हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

12. **अन्यान्य** –

12.(i) बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में C.B.S.E. 10वीं बोर्ड की वर्ष 2026 से प्रस्तावित 02 (दो) परीक्षाएँ के संबंध में परिचर्चा हुई। सी.बी.एस.ई. द्वारा सभी संचालित विद्यालय से वर्ष में 02 (दो) परीक्षाएँ पहल किये जाने हेतु आवश्यक सुझाव 09 मार्च, 2025 तक पोर्टल के माध्यम से मांगी गई है। एतदर्थ विषयक सभी सदस्यों द्वारा छात्रहित को ध्यान में रखते निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्ताव को अंगीकृत करते हुए सी.बी.एस.ई, नई दिल्ली को एक पत्र प्रेषित कर दी जाय। उक्त के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्राचार्य को प्राधिकृत किया गया।

Santosh

(ii) समिति के राँची स्थित कार्यालय में कार्यरत श्री अशोक कुमार, चतुर्थ वर्गीय कर्मी के कोटि (पियून) में नियुक्त है तथा विगत लगभग 10 वर्ष की अवधि से कार्यरत है। प्रारंभ से ही वे इस कार्यालय में वस्तुतः एक कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य दायित्व का निर्वाहन कर रहे है। तथापि उन्हें वेतन संविदा कर्मी के रूप में चतुर्थ वर्गीय कर्मी के सदृश दिया जा रहा है। स्पष्ट है कि श्री कुमार को प्रदत्त कार्य दायित्व तृतीय वर्गीय श्रेणी के कार्यों के अनुरूप अबतक रहा हैं। इनके अबतक के दायित्व निर्वाहन तथा कर्त्तव्यनिष्ठा उच्च कोटि की पायी गयी है।

इस दृष्टि से बैठक में उपस्थित सदस्यों का यह अभिमत हुआ कि, सरकारी कार्यालयों में ऐसी परिस्थिति में विद्यमान प्रावधान के आलोक में, श्री अशोक कुमार द्वारा धारित चतुर्थ वर्गीय पद को तृतीय वर्गीय स्तर पर उत्क्रमित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाय। इस क्रम में प्राचार्य को यह निदेश हुआ कि वे कार्मिक विभाग को इस स्थिति से अवगत कराते हुए समिति के इस प्रस्ताव पर विभाग से संस्तुति की याचना करें।

(iii) नेतरहाट प्रवेश परीक्षा, 2025 के संचालन एवं प्रगति पर बैठक में समीक्षा की गई उपस्थित प्राचार्य ने अवगत कराया कि नामांकन की अपने प्रक्रिया अंतिम चरण में है अप्रैल, 2025 में छात्रों की नामांकन प्रक्रिया पूरी करते हुए छात्र विद्यालय में आ जायेंगे।

(iv) प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया गया कि विद्यालय में कई तृतीय वर्गीय एवं चतुर्थवर्गीय कर्मी लम्बी समयावधि (लगभग 10 वर्षों) से संविदा पर कार्यरत है, जिन्हें विहित मापदण्ड के तहत नियमितीकरण पर विचार किया जा सकता है। प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा समर्पित प्रस्ताव के सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय किया लिया गया कि संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण पर सभी प्रक्रियाओं यथा नियुक्ति प्रक्रिया, आरक्षण व्यवस्था इत्यादि की समीक्षा करते हुए विधिक परामर्श प्राप्त करने के उपरांत प्रस्ताव समिति के समक्ष उपस्थापन करेंगे, ताकि कर्मचारी हित में निर्णय लिया जा सके एवं सभी मापदण्डों को पूरा किया जाया जा सके। यह भी निर्णय लिया गया कि की नियमित नियुक्ति के समय लम्बे समय से कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट देने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।

(v) पूर्व में नियुक्त व कार्यरत शिक्षकों के NCERT/CBSE द्वारा संचालित Orientation कार्यक्रमों में समय-समय पर सहभागिता किए जाने विषय पर विस्तृत चर्चा बैठक में उपस्थित पूर्व सभापति, कार्यकारिणी के द्वारा की गई। एतदविषयक सभी सदस्यों का मंतव्य हुआ कि शिक्षकों को पूर्व की भाँति Orientation कार्यक्रमों भेजे जाने हेतु जिला तथा राज्य के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से समन्वय स्थापित कर प्रारंभ करने हेतु प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

Santosh

(vi) विद्यालय में कार्यरत संविदा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्राचार्य सह–सदस्य सचिव इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना/संकल्प का अध्ययन कर अपने मंतव्य/सुझाव के साथ संचिका के माध्यम से सभापति को अवगत करायेगें। तद्नुसार सभापति के स्वीकृति उपरांत ही प्राचार्य सह–सदस्य सचिव अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

(vii) बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नेतरहाट विद्यालय समिति में ख्याति प्राप्त पूर्ववर्त्ती छात्रों की सहभागिता हो सके इसके लिए यह आवश्यक है कि वैश्विक स्तर पर संगठित छात्रों की समीक्षा करते हुए, प्रबुद्ध मंडल (Think Tank) गठित करने हेतु एक सूची शिक्षा विभाग को संप्रेषित की जाय। इस संदर्भ में सभी सदस्यों का यह अभिमत हुआ कि प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय समिति के संस्थापक सदस्यों सहित अन्य वरीय पूर्ववर्त्ती छात्र जो उच्च पदों पर रह चुके है, भूतपूर्व शिक्षक/प्राचार्य, जिनकी सहभागिता विद्यालय प्रशासन के संदर्भ में समय–समय पर बनी रही है एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद् को सम्मिलित करते हुए प्रबुद्ध मंडल (Think Tank) गठन हेतु सूची समर्पित करेगें।

(viii) विद्यालय में रिक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को निदेश हुआ संबंधित पदों पर रोस्टर पंजी की विभागीय स्तर पर एक माह के अंदर संस्तुति की कार्रवाई सुनिश्चित करेगें ताकि यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

(ix) विद्यालय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को निदेश हुआ कि विद्यालय की अपनी भूमि पर दुग्ध उत्पादन एवं बेकरी यूनिट की स्थापना हेतु Project Report शीघ्रताशीघ्र तैयार करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

सभी सदस्यों की सहमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Santosh 07-3-2025

(संतोष उराँव)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति
नेतरहाट।

नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,धुर्वा,रांची–834004)
(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति की, दिनांक–27.02.2025 (गुरूवार) को आहूत 69वीं बैठक की उपस्थिति :–

उपस्थिति :–

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	हस्ताक्षर
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	Santosh 27-2-2025
2.	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार।	सदस्य	
3.	वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत), वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची।	सदस्य [illegible] उप सचिव	27/02/2025
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), झारखण्ड, राँची।	सदस्य	Kamini Kumar 27.02.2025
5.	श्री नरेन्द्र भगत, भा.प्र.से.(से.नि.), भूतपूर्व सभापति, ने.वि.स.	(विशेष आमंत्रित)	नरेन्द्र भगत 27.02.2025
6.	श्री प्रयाग दुबे, पूर्ववर्ती छात्र एवं भूतपूर्व विशेष कार्य पदाधिकारी, ने.वि.स.।	(विशेष आमंत्रित)	प्रयाग दुबे 27.02.2025
7.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य सचिव	27/02/25

ज्ञापांक– 09/ने.वि.स./2025 रांची, दिनांक–07.03.2025

प्रतिलिपि–

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य), सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ प्रो.(डॉ.) कामिनी कुमार, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, 52, सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची/ श्री नरेन्द्र भगत, भा.प्र.से. (से.नि.), भूतपूर्व सभापति, ने.वि.स./ श्री प्रयाग दुबे, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय/ प्राचार्य–सह सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Sd/- 07-3-2025

सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।